

### **Disclaimer**

*“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”*

### **अस्वीकरण**

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

क्षेम प्रकृति प्रस्ताव प्रपत्र			
प्रस्ताव सं.	ईमेल आईडी: customer.support@kshema.co		वेबसाइट: www.kshema.co
वितरण विवरण			
चैनल का नाम:	प्रत्यक्ष / एजेंट / ब्रोकर / बैंक	चैनल कोड	
पीओएसपी नाम:		पीओएसपी कोड:	
विवरण प्रदान करें			
प्रस्तावक का नाम: श्रीमान/श्रीमती/सुश्री:			
पता:		संपर्क नंबर:	
बीमित विवरण			
बीमाधारक का नाम: श्रीमान/श्रीमती/सुश्री			
पूरा फार्म पता:	आधार संख्या:	संपर्क नंबर:	किसान का ईमेल आईडी:
प्रस्तावक श्रेणी	असंगठित क्षेत्र/अनौपचारिक क्षेत्र/आर्थिक रूप से कमजोर/पिछड़ा वर्ग/एससी/एसटी	प्रस्ताव निम्न से संबंधित है:	ग्रामीण / शहरी
क्या आपका प्रस्तावित खेत सिंचित या वर्षा आधारित भूमि है?		सिंचाई का स्रोत (यदि सिंचित हो):	
खेत से संबंध: मालिक / किरायेदार		किरायेदार के मामले में (मालिक का नाम बताएं)	
नामांकित व्यक्ति का विवरण		गार्जियन विवरण	
नामिती का नाम: बीमित किसान से संबंध: आयु: *(नाबालिग के मामले में अभिभावक का विवरण प्रदान करें)		अभिभावक का नाम: नामित व्यक्ति के साथ संबंध: आयु:	
विषय वस्तु विवरण			
फसल का पूरा नाम	फसल अवधि (दिनों में)	बुवाई की तिथि	कुल बीमित क्षेत्रफल
फार्म का स्थान	ज़िला	तहसील	गाँव
खेती का प्रकार: फसल-जैविक प्रकार / अजैविक प्रकार / निर्दिष्ट नहीं	पॉलिसी बीमा राशि	क्षतिपूर्ति प्रतिशत	फसल की कोई विशेष प्रथाएँ
बहुभुज आईडी / फार्म अक्षांश-देशांतर		विविधता	किरायेदार प्रमाणपत्र/कोई अन्य निर्दिष्ट करें:
कवर किए गए खतरे: नामित चक्रवात, सुनामी सहित भूकंप, बिजली के कारण आग, बाढ़, जलप्लावन (यह कवरेज हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं होगा), भूस्खलन, तूफान, केवल जानवरों द्वारा हमला (क) हाथी (ख) जंगली सूअर			

क्या बीमित खेत/संपत्ति जियोटेग्ड है? हाँ/नहीं		प्रस्तावित फार्म का सर्वेक्षण क्रमांक/संख्याएँ, क्षेत्रफल सहित:	
फसल ऋतु खरीफ / रबी / ग्रीष्म			
संलग्न दस्तावेज़: (फोटोकॉपी) भूमि रिकॉर्ड / आधार कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट फोटो / बैंक पासबुक / किरायेदार प्रमाण पत्र / बुवाई प्रमाण पत्र / यदि कोई अन्य हो, तो निर्दिष्ट करें।			
अतिरिक्त विवरण			
क्या आप नीलगाय ऐड-ऑन कवर चुनना चाहेंगे? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>			
यदि हाँ, तो कृपया नीलगाय के विरुद्ध अपने फार्म के लिए चुने गए निवारक उपायों का उल्लेख करें			
a. भौतिक निवारक <input type="checkbox"/> b. दृश्य विकर्षक <input type="checkbox"/> c. रासायनिक विकर्षक <input type="checkbox"/> d. जैविक निवारक <input type="checkbox"/> e. कोई अन्य विधि <input type="checkbox"/> यदि हाँ, तो कृपया _____ का उल्लेख करें			
प्रीमियम भुगतान मोड: कृपया भुगतान के तरीके पर टिक करें:		लेनदेन संख्या/ भुगतान का विवरण	प्रीमियम भुगतान की तिथि:
UPI / नेट बैंकिंग / पेटीएम / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड			
बीमा की अवधि:			
बीमा इतिहास			
बीमा कंपनी का नाम और पॉलिसी संख्या	बीमा की अवधि	क्या आपको कोई दावा प्राप्त हुआ है?	प्राप्त दावे की राशि (₹), यदि कोई हो
अस्वीकृति / अस्वीकृति / प्रीमियम लोडिंग के लिए कोई कारण:			
आपको/बीमित व्यक्ति को किए जाने वाले किसी भी भुगतान के लिए बैंक विवरण:			
बैंक का नाम:	बैंक शाखा:	आईएफएससी कोड:	खाता संख्या:
वित्तीय ब्याज:			
बैंकर/वित्तपोषक का नाम:		बैंक/वित्तपोषक का पता:	

घोषणा			
मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि प्रस्ताव फॉर्म भरने से पहले इस योजना के प्रावधानों को मेरे द्वारा विस्तार से पढ़ और समझ लिया गया है/समझा लिया गया है। मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही और सटीक है। मैंने इस प्रस्ताव फॉर्म में उल्लिखित फसल बोई है/बोने का इरादा रखता/रखती हूँ। इसके अलावा, मैं यह वचन देता/देती हूँ कि यदि फसल में कोई बदलाव होता है और यदि प्रीमियम में कोई अंतर होता है जो देय हो जाता है, तो मैं बीमा कंपनी को सूचित करूँगा/करूँगी, मैं उसका भुगतान करने के लिए सहमत हूँ। मैंने इस प्रस्ताव में उल्लिखित वर्ष और मौसम के दौरान उपर्युक्त पॉलीगॉन आईडी में उगाई गई उपर्युक्त फसल को कवर करने वाला कोई अन्य फसल बीमा प्रस्ताव किसी अन्य योजना के तहत सीधे या पीएसीएस या बीमा मध्यस्थ या किसी अन्य बैंक शाखा या किसी अन्य योजना या किसी अन्य बीमा कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया है।			
प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान।	तारीख:	स्थान:	
केवल कार्यालय उपयोग के लिए			
प्रस्ताव संख्या:			
नाम:	पद का नाम:	कर्मचारी आयडी:	जगह:
सत्यापन तिथि:		अधिकारी के हस्ताक्षर:	

नोट: इस प्रस्ताव प्रपत्र को बीमा के प्रमाण के रूप में तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि प्रीमियम हमारे द्वारा वसूल न कर लिया जाए और उसके विरुद्ध क्षेम प्रकृति बीमा पॉलिसी जारी न कर दी जाए।

बीमा अधिनियम 1938 धारा 41- छूट का निषेध

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 की प्रति निम्नलिखित है:

- कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने, नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन के पूरे या हिस्से की कोई छूट या पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम की कोई छूट नहीं देगा या देने की पेशकश नहीं करेगा, और न ही कोई व्यक्ति पॉलिसी लेने, नवीनीकृत करने या जारी रखने पर कोई छूट स्वीकार करेगा, सिवाय ऐसी छूट के जो बीमाकर्ता के प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या तालिकाओं के अनुसार दी जा सकती है।
- इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करने वाले किसी भी व्यक्ति को दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।